

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(तौन)/2018/ 2131
दिनांक : 20.11.18

सेवा में,

प्रबन्धक,

सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय
बहरिया, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक कला संकाय को अन्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-06.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विद्यारोपरांत कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 10.10.2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोज्य अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय
1	डॉ० राजीव शर्मा आधार नं०-259836324505	श्री सी०एल० शर्मा	01.09.1964	एम०एस०सी०, पी-एच०डी०	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुमोदन पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन जावि का प्लेट उल्लेख ले, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण-पत्र/पी०एच०डी० प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन, कक्षा संचालन के अन्तर्गत किया जाता है।

भवदीय

22/11/18
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-107(लीन)/2012/11/31

दिनांक: 23/03/12

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय,
बहरियाबाद, गाजीपुर।

विषय :- सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय, बहरियाबाद, गाजीपुर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, संस्कृत एवं भूगोल विषय में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-21.02.2012 एवं 29.02.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के आलोक में 3 अथ 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता
श्रीमती ऋचा मिश्रा	श्री रजनीश प्रसाद मिश्रा	15-07-1985	एम.ए., एम.फिल.	अंग्रेजी
सुश्री अंजना सिंह	श्री राम सूरत सिंह	30-09-1985	एम.ए., नेट	गृहविज्ञान
डॉ. चन्द्र भूषण सिंह	स्व. समाजीत सिंह	28-09-1973	एम.ए., पी-एच.डी.	हिन्दी
डॉ. संगीता श्रीवास्तव	श्री सुरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव	30-09-1963	एम.ए., पी-एच.डी.	संस्कृत
डॉ. अरविन्द कुमार चतुर्वेदी	श्री धर्मदेव चतुर्वेदी	25-08-1973	एम.ए., पी-एच.डी.	भूगोल

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,
23/03/2012
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: प्र.वि.वि./सम्बद्धता/03-107(तीन)/2012/13411
दिनांक: 09/11/2012

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय,
बहरियाबाद, गाजीपुर।

विषय :- सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय, बहरियाबाद, गाजीपुर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषय में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-11.09.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के आलोक में 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता
श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव	श्री आत्मा प्रकाश श्रीवा.	17-10-1976	एम.ए., एम.फिल.	समाजशास्त्र
डॉ. देवेन्द्र पाण्डेय	श्री शिवमूर्ति पाण्डेय	11-08-1976	एम.ए., पी.-एच.डी.	राजनीतिशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ ही यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,


कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344

Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03- (तीन)/2015/ 3763

दिनांक :

5.10.15

सेवा में,

प्रबन्धक,

सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय,
बहरियाबाद, गाजीपुर।

विषय:- सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय, बहरियाबाद, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रवक्ता अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 17.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाया गया तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
डॉ० नितेन्द्र सिंह	श्री जगदीर सिंह	21.09.1981	एम.ए.पी.एच.डी.	अंग्रेजी
डॉ० मु० सोबराती	श्री आस मुहम्मद	03.04.1980	एम.ए.पी.एच.डी.	समाजशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। तथा AISHE के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करा लें, उक्त प्रवक्ताओं का भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पुविपि/सम्बद्धता/03-(तीन)/2020/ 9439
दिनांक: 04.3.20

सेवा में,

प्रबन्धक
सुभाष विद्या मन्दिर महाविद्यालय
बहरियाबाद, गाजीपुर।

विषय:—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में अनुमोदित प्रवक्ता के संविदा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-01.04.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-11 जनवरी, 2008 एवं 23 अगस्त 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आप द्वारा प्राप्त कराये गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 25.02.2020 के अनुपालन में महाविद्यालय में कला संकाय के निम्न विषयों में अनुमोदित/कार्यरत प्रवक्ता का संविदा-विस्तारण उनके नाम के सम्मुख तिथि से 05 वर्षों के लिए किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है। अनुमोदित शिक्षकों के लिए अंशदायी मविध्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

क्रमांक	प्रवक्ता का नाम	पिता/पति का नाम	विषय	जन्म तिथि	संविदा विस्तारण
1	डॉ० देवेन्द्र पाण्डेय आधार नं०-238637783608	श्री शिवमूर्ति पाण्डेय	राजनीतिशास्त्र	11.08.1976	16.11.2017 से 05 वर्ष
2	डॉ० अरविन्द कुमार चतुर्वेदी आधार नं०-517446192094	श्री धर्मदेव चतुर्वेदी	भूगोल	25.08.1973	01.03.2017 से 05 वर्ष
3	डॉ० चन्द्रभूषण सिंह आधार नं०-235261680336	स्व० सभाजीत सिंह	हिन्दी	28.09.1973	01.03.2017 से 05 वर्ष
4	डॉ० अंजना सिंह आधार नं०-678841935510	श्री रामसूरत सिंह	गृहविज्ञान	30.09.1985	01.03.2017 से 05 वर्ष

भवदीय
02/03/20
कुलसचिव